राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामकुंवार बनाम नान्छी देवी

तारीख हुक्म	273/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 10/12/2025 को पेश हो।	
10/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन व घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश क्रमांक सम/2022/4190-4200 दिनांक 11/10/2022 के द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से हस्तान्तरित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर को प्रेषित किया गया एवं तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब वाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 29/03/2023 पारित की गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का समुचित परिक्षण किये बगैर ही केवल मात्र वादीयां के मौखिक कथनों को मानते हुए तथा प्रतिवादीगण का वादीयां एवं प्रतिवादीगण के मध्य खसरा नम्बर 253/130, 110, 111/1 के सम्बन्ध में कोई समझौता नही हुआ हो, साबित नही कर पाना धारित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है जबकी उक्त बिन्दु वादिया को दस्तावेजी साक्ष्य यथा समझौता एवं सहमति पत्र इत्यादि से सिद्ध करना आवश्यक था एवं वादिया के कथनों के परिक्षण हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट भी तहसील से तलब नही की गयी, जिससे की मौके की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित परिक्षण किये बगैर ही पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29/03/2023 त्रुटीपूर्ण प्रतीत होने से निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामकुंवार बनाम नान्छी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाता है कि वे तहसीलदार से प्रश्नगत भूमि की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यो का समुचित परिक्षण कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विस्तुत विवेचनात्मक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	